बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक– प्र06– विविध–20/2013 (खंड) 4606 खाद्य, पटना/दिनांक– 13/10/22

प्रेषक,

विनय कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

विषय – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अवशेष गेहूँ का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मात्र चावल का वितरण किया जा रहा है और लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास PMGKAY के तहत पूर्व में उपलब्ध कराए गए गेहूँ के भंडार अवशेष है। उक्त के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अवशेष गेहूँ का भंडार का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करना अनिवार्य है।

तदनुसार अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अवशेष गेहूँ भंडार का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत कराने का निदेश दिया जाए। e-PoS प्रणाली में इसके लिए आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है और स्थानांतरित भंडार तथा उसके वित्तीय पहलूओं को e-PoS यंत्रों द्वारा स्वतः संधारित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र06– विविध–20/2013 (खंड) 4606 खाद्य, पटना/दिनांक– 13/10/22

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।